(1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 139/2020 & GCMS NO. 2021/495

दायर दिनांक–23–11–2020

1. पायल पुत्री लालचन्द
2. कंचन पुत्री लालचन्द
   जरिये संरक्षिका माता प्रियंका पत्नी लालचन्द जाति योगी निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– आवेदक

– बनाम –

1. लालचन्द पुत्र भागीरथ जाति योगी निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. भागीरथ मल पुत्र गोरीशंकर जाति योगी निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. भूमि धारक (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री सज्जन कुमार चाहर
वकील प्रति. :– एकपक्षीय

प्रार्थना पत्र :– अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 18.04.2022

प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाके राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में खाता संख्या नया 308 पुराना 263 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1591 रकबा 0.7600 हैक्टर खसरा नम्बर 1592 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1809 रकबा 0.4500 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.6500 हैक्टर तथा इसी ग्राम में खाता संख्या 613 पुराना 508 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 2629 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 2630 रकबा 0.1600 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.200 हैक्टर स्थित है। उक्त कृषि भूमि को अनावेदकगण नम्बर 01 लगायत 02 व वादियागण के हिस्से में आये हिस्से को प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

यह है कि उपरोक्त मद संख्या 1 में दर्शायी गई खसरा नम्बरान की कृषि भूमि में वादियागण व अनावेदकगणनम्बर 1 लगायत 02 की पैत्रिक कृषि भूमि है। खसरा नम्बर 1591 रकबा 0.7600, खसरा नम्बर 1592 रकबा 0.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1809 रकबा 0.4500 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 1.6500 हैक्टर जिमसें आवेदिकागण नम्बर 1 व 2 का 1/24–1/324 हिस्सा व अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 2 का 1/8–1/8 हिस्सा शामलाती हिस्सा है तथा खसरा नम्बर 2629 रकबा 0.0400 हैक्अर खसरा नम्बर 2630 रकबा 0.1600 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.200 हेक्टर भूमि के हिस्से में अनावेदिकागण नम्बर 1 व 2 के दादा भागीरथ का 1/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए अनावेदिकागण के पिता का 1/32 हिससा जिसमें अनावेदिकागण नम्बर 1 लगायत 2 व अनावेदिकागण के पिता का अब प्रत्येक का 1/96 – 1/96 हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि अविभाजित है। अनावेदिकागण नम्बर 1 अनावेदकगण नम्बर 2 को बहला फुसलाकर सम्पूर्ण भूमि का विक्रय करके अपने वारिसों को उनके हिस्से से वंचित करने पर उतारू है जब कि उनको अपने हिस्से तक का ही विक्रय करने का अधिकार है क्यों कि उक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि होने के कारण हिन्दु विधि के अनुसार आवेदिकागण नम्बर 01 व 02 सहदायिकी सदस्य है। जिसमें आवेदिकागण का भी हिस्सा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में आवेदिका का नाम दर्ज नही होने के कारण आवेदिकागण के पिता लालचन्द जो कि आदतन शराबी व्यक्ति है व अपने पिता भागीरथ को अपने बहकावे में लेकर उक्त कृषि भूमि को विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:17:44 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

करने पर आमादा है। आवेदिकागण नम्बर 01 व 02 नाबालिक है उनकी संरक्षिका उनकी माता है पालन पोषण सब ही ओदिकागण की माता ही कर रही है। अनावेदक नम्बर 1 व 2 एकराय होकर आवेदिकागण के हिस्से की भूमि को जबरन हड़पना व विक्रय करना चाहते है। जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही है इसलिए अनावेदकगण नम्बर 01 लगायत 02 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अनावेदिकागण का मजबूत प्रथम दृष्टाया मामला है, तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदिकागण के पक्ष में है, अगर अनावेदकगण अपनी नाजायज मंशा में सफल हो गये तो आवेदिकागण को इतना नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नही होगी। उक्त कृषि भूमि में अनावेदकगण आवेदिकागण के हिस्से के कब्जे, काश्त एवं उपयोग–उपभोग में अनुचित हस्तक्षेप नही करे। तथा ना ही किसी प्रकार की सींव डोल फोडे तथा न ही कोई पेड़ काटे तथा ना ही भूमि के किसी भी भू–भाग को विक्रय रहन या किसी भी प्रकार से स्थानान्तरण नही करे। इसलिए अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना अत्यन्त आवश्यक है।

उक्त आवेदिकागण की कृषि भूमिम ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा में स्थित है। जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र में अनुतोष चाहा है कि अनावेदक नम्बर 1 व 2 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आवेदिकागण व अनावेदकगण की संयुक्त कृषि भूमि जो कि पैरा नम्बर 1 में वर्णित ग्राम परसरामुपरा की सरहद में खसरा नम्बर 1591, 1592, 1809 रकबा क्रमशः 0.76, 0.44, 0.45 हेक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 1.65 हैक्टर है जिसमें आवेदिकागण नम्बर 01 व 02 का 1/24–1/24 हिस्सा व अनावेदकगण नम्बर 01 लगायत 02 का 1/8–1/8 हिस्सा शामालाती हिस्सा है, तथा खसरा नम्बर 2629, 2630 रकबा क्रमशः 0.04, 0.1600 हैक्अर कुल किता 02 कुल रकबा 0.2000 हैक्टर भूमि के हिस्से में आवेदिका नम्बर 01 व 02 के दादा भागीरथ का 1/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए आवेदिका के पिता का 1/32 हिस्स जिमसें आवेदिका नम्बर 1 लगायत 2 व आवेदिका के पिता का अब प्रत्येक का 1/96–1/96 हिस्सा है। जिसके लिए अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 2 को विक्रय के लिए पाबन्द किया जावे तथा अनावेदकगण नम्बर 3 को आदेशित किया जावे कि उक्त हिस्से की भूमि का ना तो किसी को विक्रय–पत्र तस्दीक करे तथा ना ही रहन आदि करे। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 01 लगायत 2 की तलबी सम्यक रूप से होने के बावजूद न्यायालय उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। हस्तगत प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही होने तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही रहती है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। आवेदक अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद निस्तारण होने तक कन्फर्म किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजो एंव पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है ग्राम परसरामुपरा के राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 308 सम्वत् 2075–2078 तथा खाता संख्या 613 सम्वत् 2075–2078 आवेदिकागण एवं अनावेदक नम्बर 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी ... रिकार्ड है। विवादग्रस्त पैतृक भूमि है। विवादग्रस्त भूमि का मोके पर कोई कानूनी विभाजन नही हुआ है ... की विवादग्रस्त अविभाजित सम्पूर्ण कृषि भूमि में संयुक्त शामलाती की पैतृक खातेदारी की भूमि ... रिकार्ड जिसके हिस्सेदारो के मध्य कानूनी विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर नही हुआ है। व...स्त उक्त आराजी भूमि को मिटस एण्ड बाउण्डस तकासमा किया जाकर जमाबन्दी में दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:17:44 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नजरगढ़

काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :– –

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– ग्राम परसरामपुरा की सरहद में जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या नया 308 पुराना 263 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1591, 1592, 1809 रकबा 0.76, 0.44, 0.45 हैक्टर तथा खाता संख्या नया 613 पुराना 508 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 2629, 2630 रकबा क्रमशः 0.0400, 0.1600 हैक्टर आवेदिकाकगण एव अनावेदकगण की संयुक्त खातेदारी की शामलाती भूमि दर्ज रिकार्ड है। तथा वर्णित वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है, जिसका खातेदारों के मध्य कानूनी विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर नही हुआ है। अतः आवेदिकागण विवादग्रस्त भूमि पैतृक होने से रिकार्डेड संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है
2. **सुविधा का संतुलन** :– बिन्दु संख्या 1 में विवादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति जो अविभाजित संयुक्त खातेदार आवेदिकागण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने पर प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष मे होने के कारण सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष बनता है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में होने से तथा आवेदक विवादग्रस्त भूमि में आवेदक के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदक पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम परसरामपुरा की सरहद में जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या नया 308 पुराना 263 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1591, 1592, 1809 रकबा 0.76, 0.44, 0.45 हैक्टर तथा खाता संख्या नया 613 पुराना 508 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 2629, 2630 रकबा क्रमशः 0.0400, 0.1600 हैक्टर भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय आनावेकदगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो तथा प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनु (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:17:44 IST
Reason: SelfAttested